न्यायालय, अपर समाहर्ता, रॉंची।

एस ए आर अपील 10 आर 15/08–09

अंतु उरॉव वगैरह अपीलकर्ता

बनाम

बिरसा कच्छप वगैरह प्रतिवादी

आदेश

5
23.06.2008

यह अपील एस ए आर वाद संख्या 928/03–04 में श्री देवनीस किरो, विशेष विनियमन पदाधिकारी, रॉंची द्वारा दिनांक 5.2.2008 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। निम्न न्यायालय ने निम्नांकित जमीन के सम्बन्ध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71 ए के द्वितीय परन्तुक के अनुसार क्षतिपुर्ति भूगतान का आदेश दिया है।

ग्राम	खाता	प्लॉट	रकबा
अरगोड़ा	95	532	12 डिसमिल

अपील आवेदन में बताया गया है कि विवादित जमीन खतियान में अपीलकर्ता के पूर्वज डोमा उरॉव के नाम दर्ज है। निम्न न्यायालय में अपीलकर्ता ने प्रतिवादी के विरुद्ध जमीन वापसी का वाद दायर किया था। खाता नं0 95 की सम्पुर्ण जमीन का लगान रसीद अपीलकर्ता के नाम निर्गत होता है। परन्तु निम्न न्यायालय द्वारा बिना किसी ठोस सबुत के यह निष्कर्ष निकाला गया कि विवादित जमीन पर प्रतिवादी का मकान 1969 के पूर्व का बना हुआ है। निम्न न्यायालय में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत 5.1.1948 के सादा हुकुमनामा को मान्यता दी गयी जबकि यह धारा 46 छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों का सरासर उल्लंघन है। विवादित जमीन शहरी क्षेत्र में अवस्थित है परन्तु होल्डिंग नं0, बिजली बिल, टेलीफोन बिल आदि किसी भी प्रकार का साक्ष्य निम्न न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे की 1969 के पूर्व मकान बने होने की पुष्टि हो। अपील अपवेदन में यह तर्क दिया गया है कि सादा हुकुमनामा सम्पत्ति हस्तांतरण अधिनियम का उल्लंघन है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना गया। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपील आवेदन के तथ्यों का ही उल्लेख किया एवं बताया कि विवादित जमीन पर कोई संरवना नहीं है बल्कि चहारदीवारी है।

प्रतिपादी के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि विवादित जमीन 25.2.1968 को सादा बिक्री पट्टा से प्राप्त किया गया था। इसमें प्रतिवादी का मकान बना हुआ है।

दोनों अभिलेखों में उपलब्ध साक्ष्य एवं विद्वान अधिवक्तागण के तर्क सुनने के बाद यह स्पष्ट है कि विवादित जमीन का हस्तांतरण सादा बिक्री पट्टे के माध्यम से हुआ है। निम्न न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रतिवादी द्वारा 1969 के पूर्व मकान का निर्माण किया गया है, परन्तु इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि किन साक्ष्यों के आधार पर यह प्रमाणित होता है। प्रतिवादी द्वारा इस न्यायालय में भी इस संबंध में किसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। एंसी स्थिति में निम्न न्यायालय का आदेश आधारहीन है।

अतः अपील स्वीकृत किया जाता है। दखल देहानी हेतु अंचल अधिकारी, शहर को निर्देश दें।

दिनांकः— 23.06.2008

लेखापित एवं संशोधित।

ह0/—

अपर समाहर्ता,
रॉची।